राजस्थान-सरकार

# कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर (राजस्थान)

क्रमांकः-आब/बंदो/2020-21/ 1827 दिनांकः-21.09.2020

## आवश्यक सूचना

1. निरस्त किये गये देशी मदिरा कम्पोजिट समूह खेडी राडान चूडी मियान आबकारी वृत फतेहपुर के पुनः वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के बंदोबस्त अनुज्ञापत्र आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन की तिथि दिनांक 24.09.2020 रात्रि 12:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। ऑनलाईन आवेदन शुल्क का भुगतान न करके डी.डी. द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान करने वाले आवेदनकर्त्ता दिनांक 25.09.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक आवेदन पत्र की हार्डकॉपी मय आवेदन शुल्क डी.डी. जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सीकर में जमा करा सकते हैं।
2. उक्त देशी मदिरा कम्पोजिट समूह हेतु लॉटरी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के परिसर में दिनांक 25.09.2020 को अपरान्ह 4:00 बजे निकाली जावेगी।

(आदराम)
जिला आबकारी अधिकारी
सीकर

क्रमांकः-आब/बंदो/2020-21/1827 दिनांकः-21.09.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कम्प्यूटर सैल, आबकारी विभाग राजस्थान उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
2. संपादक, दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका को प्रेषित कर श्रम है कि सीकर संस्करण में न्यूनतम स्पेस पर सूचना का प्रकाशन करावें।

जिला आबकारी अधिकारी
सीकर

# कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर

क्रमांक :– 1553 दिनांक :– 22.09.2020

## देशी/कंपोजिट मदिरा समूह के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020–21 की शेष अवधि हेतु अजमेर जिले के देशी मदिरा समूह संख्या 70, ग्रा.पं. बोराडा के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है।
2. समूह की आनुपातिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि, कंपोजिट राशि एवं आवेदन शुल्क निम्नानुसार है:–

| क.सं. | समूह का नाम | शेष अवधि हेतु आनुपातिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि | आनुपातिक कंपोजिट राशि | आवेदन शुल्क रूपये में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग्रा.पं. बोराडा | 3477016 | 231936 | 30000 |

3. आवेदन शुल्क अप्रतिदाय योग्य (non–refundable) होगा।
4. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
5. समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट https://rajexciselottery2020-21.org एवं **https://rajexcise.gov.in** स्वीकार किये जाएँगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेंगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
6. आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (**Round the Clock**) भरे जा सकते है।
7. विशेषतः जिस दुकान/ दुकानो के समुहो के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानो के समूह के लिये अमानत राशि शुन्य होकर केवल आवेदन शुल्क ही जमा कराना आवश्यक है।
8. इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों बाबत सूचना एवं दुकानों की निर्धारित सूची विभागीय वेबसाईट https://rajexciselottery2020-21.org पर उपलब्ध है।
9. ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://rajexciselottery2020-21.org एवं **https://rajexcise.gov.in** पर दिनांक 23.09.2020 से 28.09.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।
10. आवेदन शुल्क राशि इन्टरनेट बैकिंग/ई–ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी.ए.–55/ई–मित्र के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।
11. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।
12. आवेदन शुल्क का इन्टरनेट बैकिंग एवं ई–मित्र से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा **29.09.2020 को दोपहर 03:00 तक,** जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क के चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, अजमेर में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड़ कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी **परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी 29.09.2020 को दोपहर 03:00 बजे के बाद स्वीकार्य नही होगें।**
13. इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।**
14. अजमेर जिले के देशी मदिरा समूह संख्या 70, ग्रा.पं. बोराडा हेतु समूह की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 30.09.2020 को प्रातः 11:00 बजे जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय, अजमेर परिसर पर निकाली जायेगी।
15. जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।
16. उक्त दुकान हेतु बन्दोबस्त की अवधि वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिये होगी।
17. आवेदन आमत्रंण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://rajexciselottery2020-21.org उपलब्ध हैं। इस हेतु जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय, अजमेर में भी सम्पर्क किया जा सकता है।

22/9/20

(रियाजुद्दीन उस्मानी)
जिला आबकारी अधिकारी,
अजमेर।